<u>विनायना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड</u>

ऋण खाते पर विलंब शुल्कों संबंधी नीति

RBI द्वारा निष्पक्ष ऋण प्रथाओं (Fair Lending Practice) - ऋण खातों में विलंब शुल्क (Penal Charges) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities - REs) को विलंब शुल्क लगाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाना अनिवार्य है। इसी के अनुरूप, **विनयाना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड** ("कंपनी"), जो RBI में पंजीकृत एक NBFC है, द्वारा 'विलंब शुल्क नीति' तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य:

- विलंब शुल्क लगाने का उद्देश्य उधारकर्ताओं में ऋण अनुशासन (Credit Discipline) की भावना विकसित करना तथा विलंब शुल्क के प्रकटीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- विलंब शुल्क किस्तों का नियत तिथि पर भुगतान न करने या नियत तिथि के बाद भुगतान में विलंब होने की स्थिति में लगाया जाएगा।
- विलंब शुल्क राजस्व बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि विलंबित पुनर्भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए एक निवारक उपाय (Deterrent) है।

I. विलंब शुल्क (Penal Charges):

यदि उधारकर्ता (Borrower) या जमानतदाता (Guarantor) द्वारा कंपनी को देय कोई भी राशि निर्धारित समय पर अदा नहीं की जाती है, तो कंपनी को इस नीति में उल्लिखित लागू दरों के अनुसार उस बकाया राशि पर विलंब शुल्क / अतिरिक्त ब्याज लगाने का अधिकार होगा।

उधारकर्ताओं के साथ स्पष्ट संप्रेषण

विलंब शुल्क की राशि (Quantum) एवं उसके लगाए जाने के कारण को कंपनी द्वारा ऋण अनुबंध (Loan Agreement), स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) एवं की फैक्ट स्टेटमेंट (Key Fact Statement - KFS) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी की वेबसाइट (Schedule of Charges) पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

विलंब शुल्क निर्धारित करने के सिद्धांत

- विलंब शुल्क बकाया किस्त (मूलधन + ब्याज) की राशि पर लागू होगा।
- कंपनी विभिन्न ऋण उत्पादों पर अलग-अलग विलंब शुल्क लागू कर सकती है।
- दैनिक संग्रह (Daily Collection) वाले ऋणों के लिए विलंबित भुगतान की अवधि (जितने दिन देरी हुई) के अनुसार विलंब शुल्क प्रतिदिन के आधार पर देय होगा, जो भुगतान की तिथि तक लागू रहेगा।
- विलंब शुल्क उस सहमत ब्याज दर के अतिरिक्त होगा, जिस पर ऋण वितरित किया गया था।
- विलंब शुल्क किसी भी लागू कर (Taxes) से अलग होगा, तथा ऐसे करों का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।

विलंब शुल्क

डिफॉल्ट की स्थिति में, ऋण अवधि के दौरान या ऋण अवधि समाप्त होने के पश्चात ऋण खाते की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित विलंब शुल्क उधारकर्ता पर लागू होंगे:

A. ऋण खातों पर विलंब शुल्क

विलंब शुल्क निम्नलिखित श्रेणी के उधारकर्ताओं के आधार पर लगाया जाएगा:

i) ऋण अवधि के दौरान भुगतान में विलंब या गैर-भुगतान की स्थिति में:

विलंब की अवधि के लिए देय किस्त राशि पर 5% प्रति माह अर्थात 0.17% प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लागू होगा (दैनिक ऋणों के लिए)। यह केवल उतने दिनों के लिए लागू होगा, जितने दिनों तक किस्त बकाया रहती है। मासिक ऋण उत्पाद (Monthly Loan Product) के लिए विलंबित भुगतान की अवधि के अनुसार बकाया किस्त राशि पर 5% प्रति माह की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

गणना की विधि (Calculation Method):

विलंब शुल्क = बकाया किस्त राशि × विलंब दर × बकाया दिनों की संख्या

उदाहरण (दैनिक ऋण):

यदि ₹500 की दैनिक किस्त 5 दिनों तक बकाया रहती है →

₹500 × 0.17% × 5 = ₹4.25

उदाहरण (मासिक ऋण):

यदि ₹10,000 की मासिक ईएमआई 5 दिनों तक बकाया रहती है →

₹10,000 × 5% × 5 ÷ 30 = ₹83.33

(नोट: मासिक दर को दैनिक आधार पर गणना करने हेतु 30 दिनों से विभाजित किया गया है।)

ii) ऋण अवधि समाप्त होने के बाद भुगतान में विलंब या गैर-भुगतान की स्थिति में विलंब शुल्क:

• यदि उधारकर्ता परिपक्वता तिथि (Maturity Date) से 30 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि पर निम्नलिखित ग्रिड के अनुसार अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाएगा

ऋण खाते की अंतिम तिथि के बाद विलंब के दिन	अतिरिक्त शुल्क
0 - 30 दिन	ऋण बकाया पर प्रतिदिन 0.33%
31 - 45 दिन	ऋण बकाया पर प्रतिदिन 0.20%
45 दिन से अधिक	विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है

सिस्टम अनुकूलन / MIS में फ्लैगिंग

• बकाया किस्तों (Overdue Installments) को सिस्टम में चिन्हित (Flag) किया जाएगा।
• सिस्टम इस नीति के अनुसार लागू दरों पर प्रतिदिन विलंब शुल्क की गणना करेगा तथा उसे स्वचालित रूप से उधारकर्ता के खाते में प्रदर्शित करेगा।
• उधारकर्ता को बकाया राशि एवं विलंब शुल्क की जानकारी SMS/व्हाट्सएप सूचना/कॉल के माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में दी जाएगी।

विलंब शुल्क में छूट (Waiver of Penal Charges)

विलंबित भुगतान या बकाया राशि पर देय विलंब शुल्क को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति एवं संतुष्टि के अधीन माफ किया जा सकता है:
i) प्राकृतिक आपदा, चिकित्सीय आपातकाल या भुगतान न कर पाने/विलंब से भुगतान करने के वास्तविक कारणों के मामलों में छूट पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में वेवर अनुरोध पत्र (Waiver Request Letter - WRL) प्रस्तुत किया जाए।
ii) WRL पर केवल उन ग्राहकों के मामलों में विचार किया जाएगा जिनकी ऋण अवधि समाप्त हो चुकी है। ऋण अवधि के दौरान किसी भी WRL पर विचार नहीं किया जाएगा।
iii) विलंब शुल्क में छूट चाहने वाले ग्राहक से संबंधित कर्मचारी द्वारा परिशिष्ट-1 (Annexure 1) में संलग्न प्रारूप के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

छूट (Waiver) की प्रक्रिया
i) WRL (Waiver Request Letter) संबंधित शाखा प्रबंधक की संस्तुति (Recommendation) सहित व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रधान कार्यालय (HO) के ऑपरेशनल मैनेजर को भेजना अनिवार्य होगा।
ii) प्राप्त होने पर, ऑपरेशनल मैनेजर संबंधित फील्ड अधिकारियों एवं उधारकर्ता से परामर्श कर मामले का सत्यापन (Authentication) करेंगे। समुचित जांच के उपरांत, सभी सहायक दस्तावेजों एवं प्रमाणों सहित प्रकरण को HO के अकाउंट्स टीम को भेजा
जाएगा।
iii) HO के अकाउंट्स मैनेजर दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे, आवश्यकता होने पर उधारकर्ता से बात करेंगे, मामले का विश्लेषण करेंगे तथा छूट अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे।
iv) छूट की स्वीकृति अकाउंट्स मैनेजर द्वारा अपने यूनिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए वेब-आधारित सिस्टम में भी दर्ज की जाएगी।
v) छूट केवल ऋण खाते पर लगाए गए विलंब शुल्क की राशि तक ही अनुमन्य होगी। किसी भी परिस्थिति में यह सीमा से अधिक नहीं होगी।
vi) छूट से संबंधित सभी दस्तावेजों का समुचित अभिलेखीकरण एवं रख-रखाव HO की अकाउंट्स टीम तथा संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
vii) परिशिष्ट-2 (Annexure 2) में संलग्न प्रारूप के अनुसार अंतिम निपटान पत्र (Final Settlement Letter) HO के

MIS द्वारा उधारकर्ता को जारी किया जाएगा।
viii) MIS या नामित ग्राहक प्रतिनिधि द्वारा उधारकर्ता को फॉलो-अप कॉल कर निपटान राशि की पुष्टि तथा खाते के समापन (Closure) की पुष्टि की जाएगी।

II. चेक / NACH बाउंस शुल्क

a) दैनिक संग्रह (Daily Collection) ऋण उत्पादों में डिफॉल्ट की स्थिति में कोई बाउंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
b) मासिक ऋण उत्पादों के मामले में, प्रत्येक ईएमआई के चेक/NACH अनादरण (Dishonour) की प्रत्येक घटना पर ₹350/- (रुपये तीन सौ पचास मात्र) प्रति ईएमआई, साथ में लागू GST, बाउंस शुल्क के रूप में लगाया जाएगा।

III. पूर्व-भुगतान दंड (Pre-Payment Penalty)

	दैनिक ऋण उत्पाद (SARAL)	**मासिक ऋण उत्पाद (Business Loan)**
लॉक-इन अवधि	वितरण तिथि से 60 दिन	वितरण तिथि से 6 माह
आंशिक पूर्व-भुगतान या पूर्ण समापन पर पूर्व-भुगतान दंड	NIL (कोई दंड नहीं)	NIL (कोई दंड नहीं)

लॉक-इन अवधि के दौरान पूर्व-निपटान (Pre-Settlement during Lock-in Period)

ऋण के समापन पर कोई पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई उधारकर्ता ऋण की लॉक-इन अवधि के दौरान पूर्व-निपटान का अनुरोध करता है, तो कंपनी बिना किसी दंड के ऐसे पूर्व-निपटान की अनुमति दे सकती है।
ऐसी स्थिति में, उसी उधारकर्ता को भविष्य में वितरित किया जाने वाला कोई भी नया ऋण उस मूल ऋण राशि से अधिक नहीं होगा, जिसे पूर्व-निपटान किया गया था।
अतः जो उधारकर्ता लॉक-इन अवधि के दौरान ऋण का पूर्व-निपटान करता है, वह मूल रूप से वितरित राशि से अधिक टिकट साइज (उच्च ऋण राशि) के ऋण के लिए पात्र नहीं होगा।

यह नीति सभी ऋणों पर लागू होगी जो इस तिथि के बाद वितरित किए जाएंगे | इस नीति की समय-समय पर आवश्यकता अनुसार समीक्षा एवं संशोधन किया जाएगा।

" Think Better Do Better"

विनायना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड

Annexure_1

विलंब शुल्क माफ़ी हेतु अनुरोध पत्र

Date:

प्रति,

शाखा प्रबंधक

[शाखा का नाम]

विषय: ऋण खाता संख्या ____________ पर विलंब शुल्क माफ़ी हेतु अनुरोध

महोदय/महोदया,

मैं, [उधारकर्ता का नाम], अपने ऋण खाता संख्या ____________ के संदर्भ में लिख रहा/रही हूँ, जो कि दिनांक __________ को ₹ ____________ की राशि के लिए लिया गया था। [कारण स्पष्ट करें: जैसे - प्राकृतिक आपदा, चिकित्सीय आपातकाल, व्यक्तिगत कठिनाई आदि] के कारण मैं नियत तिथि पर भुगतान करने में असमर्थ रहा/रही, जिससे मेरे खाते पर ₹ ____________ के विलंब शुल्क/लेट पेमेंट शुल्क लग गए।

मैं यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि यह विलंब पूरी तरह से अनजाने में हुआ और मेरी नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण था। अन्यथा, मैंने आपके संस्थान के साथ अपने भुगतान का अच्छा रिकॉर्ड बनाए रखा है और हमारे संबंधों का मैं सम्मान करता/करती हूँ।

उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करता/करती हूँ कि कृपया मेरे ऋण खाते पर लगे विलंब शुल्क को विशेष रूप से माफ़ किया जाए। मैं आपको आश्वस्त करता/करती हूँ कि भविष्य में ऐसे विलंब नहीं होंगे और मैं समय पर अपने ऋण दायित्वों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

आपके सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए मैं आपका आभारी/आभारी रहूँगा/रहूँगी।

धन्यवाद।

भवदीय,

[उधारकर्ता का नाम]

पता: ________________________________

मोबाइल नं.: ________________________________

ईमेल आईडी: ________________________________

ऋण खाता संख्या: ________________________________

<u>विनायना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड</u>

Annexure_2

अंतिम निपटान पत्र

दिनांक: [Date]
प्रति,
[उधारकर्ता का नाम]
[पता]

ऋण खाता संख्या: ____________________

महोदय/महोदया,

यह पत्र आपके ऋण खाता संख्या _________________, जो कि विनयाना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड से लिया गया था, के संदर्भ में है।

आपके द्वारा विलंब शुल्क माफ़ी के अनुरोध और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिए जाने के अनुसार, उक्त ऋण खाते पर लगाए गए ₹ _____________ के विलंब शुल्क विशेष अनुमोदन के तहत माफ़ कर दिए गए हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि ₹ _____________ का भुगतान दिनांक _____________ को प्राप्त होने के पश्चात, आपका ऋण खाता पूरी तरह से चुकता और निपटित (Fully Repaid and Settled) हो गया है।

अनुरूप:

- वर्तमान तिथि तक उक्त ऋण खाते में कोई बकाया राशि नहीं है।
- ऋण खाता हमारे पुस्तकों में बंद (Closed) माना जाएगा।
- कोई भी सुरक्षा दस्तावेज / पोस्ट-डेटेड चेक / NACH मांडेट (यदि लागू हो) प्रक्रिया अनुसार जारी/रद्द कर दिए जाएंगे।

विनयाना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड के साथ आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं।

भवदीय,

For Vinayana Investment and Finance Limited

[Authorized Signatory]
नाम: [Name]
पदनाम: [Designation]